(वाद संख्या–1110/4/28/2020)

10.01.2022

नोटिस के बावजूद भी परिवादी, मनोज कुमार सिंह, अनुपस्थित है।

प्रसंगाधीन मामला, रोहतास जिलान्तर्गत दरिगाँव थाना के थानाध्यक्ष द्वारा परिवादी, मनोज कुमार सिंह तथा उसके परिवार को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम से प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सासाराम व पुलिस निरीक्षक, सासाराम (मु0) अंचल–रोहतास के प्रतिवेदनानुसार ‘‘जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी है कि नावार्ड योजना के अन्तर्गत बन रहे दरिगाँव काली स्थान से महादलित टोला होते हुए दरिगाँव शक्ति उपकेन्द्र तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, जो सरकारी जमीन को रेखांकित कर सरकारी योजना से बन रहा था, परन्तु परिवादी, मनोज कुमार सिंह एवं परिवादी के परिवार के लोग सड़क बनाने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। सड़क नहीं बनने देने को लेकर दिनांक–06.02.2020 को नावार्ड योजना के अन्तर्गत बन रहे सड़क के संवेदक सिद्धेश्वर सिंह पिता–कपिलमुनी राय, साकिन–न्यू एरिया सासाराम, थाना–सासाराम, नगर जिला–रोहतास के द्वारा एक आवेदन दरिगाँव थाना को दिया गया था, उस आवेदन की जांच एवं सहयोग हेतु दरिगाँव थाना के पु0स0अ0नि0 प्रदीप कुमार पाण्डेय, पुरूष एवं महिला सिपाही के साथ जाकर परिवादी मनोज कुमार सिंह एवं परिवादी के परिवार के सदस्यों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, किन्तु परिवादी मनोज कुमार सिंह एवं परिवादी के परिवार के सदस्य नहीं माने तथा पुलिस बल के साथ गाली–गलौज, धक्का–मुक्की एवं पत्थरबाजी करने लगे, जिसमें महिला सिपाही/581 रबिया खातून जख्मी हो गई, जिसे लेकर दरिगाँव ओ0पी0 अध्यक्ष पु0अ0नि0, उमेश कुमार के द्वारा दरिगाँव थाना कांड सं0–97/20, दिनांक–06.02.2020, धारा–341/ 323/ 337/ 332/ 353/ 504/ 506/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मनोज कुमार सिंह,

पिता–रामजन्म सिंह 2. गीता देवी, पति–मनोज कुमार सिंह 3. सुरज कुमार सिंह, पिता–मनोज कुमार सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एवं अनुसंधानोपरान्त पत्र सं0–197/20, दिनांक–29.02.2020, धारा–341/ 323/ 337/ 332/ 353/ 504/ 506/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि जांच के क्रम में परिवादी, मनोज कुमार सिंह से पूछ–ताछ के क्रम में बताया गया कि दरिगाँव ओ0पी0 अध्यक्ष पु0अ0नि0, उमेश कुमार के विरूद्ध जो शिकायत दर्ज की गयी है। वह शिकायत इनके द्वारा दर्ज नहीं करायी गयी है। किसी के द्वारा जानबूझकर इनके नाम से शिकायत डाला गया है, शिकायत पत्र पर जो हस्ताक्षर है इनका नहीं है। इन्हें दरिगाँव ओ0पी0 अध्यक्ष पु0अ0नि0 उमेश कुमार से कोई शिकायत नहीं है। इस संबंध में मनोज कुमार सिंह के द्वारा एक लिखित आवेदन भी दिया गया है, जो साथ संलग्न है''

अब जबकि, परिवादी, मनोज कुमार सिंह उसकी पत्नी व उसके पुत्र के विरूद्ध पुलिस द्वारा दरिगाँव थाना कांड सं0–97/20, दिनांक–06.02.2020 के अन्तर्गत अनुसंधानोपरान्त आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा जांच के क्रम में परिवादी द्वारा थानाध्यक्ष दरिगाँव थाना के विरूद्ध राज्य आयोग में समर्पित परिवाद को छद्नामी बताया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से कोई कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>